विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 280 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 मई 2013 से 12 जून 2013

अब न रहें अनचाही हमारी बेटियां

• बाबूलाल नागा •

हाल ही में 2 मई को चिकित्सा विभाग की पीसीपीएनडीटी इकाई की स्टेट विंग ने जयपुर शहर में दो स्थानों पर स्टिंग ऑपरेशन कर भ्रूण परीक्षण करते हुए दो डॉक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा। सांगानेर में फागी रोड पर किरण नर्सिंग होम व आदर्शनगर के अनिल हॉस्पिटल में भ्रूण परीक्षण किया जा रहा था।

विभाग की तमाम सख्ती के बावजूद भी भ्रूण परीक्षण पर रोक नहीं लग पा रही है। कन्याओं की हत्या में अव्वल होने का पाप हमारा प्रदेश सदियों से ढो रहा है। इस कलंख को मिटाने के प्रयास भी होते हैं, फिर भी कोई न कोई गहरी कालिख पोत देता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने को बने तमाम कानूनों को ढेंगा दिखाकर आए दिन बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता हैं। कड़े कानूनों और तमाम सरकारी कोशिशों के बाद भी चोरी छिपे भ्रूण परीक्षण होते हैं। कोख में पल रहे बच्चे के बारे में जब पता चलता है कि होने वाली संतान बेटी है, तो बेटियों को कोख में कत्ल करने से नहीं चूकते। लिंग की जांच करवाकर भावी शिशु कन्या पाए जाने पर भ्रूण हत्या करवा देना कानूनन अपराध है। पीसीपीएनडीटी यानी प्रसव पूर्व लिंग चयन व लिंग जांच कानून में कन्या भ्रूण हत्या को अपराध माना गया है लेकिन अपने ही अजन्मी कन्याओं के नाते रिश्तेदार चिकित्सकों के साथ मिलकर कानून को चकमा दे ही डालते हैं। हालांकि आमीर खान द्वारा सत्यमेव जयते के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ माहौल बनने के बाद राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई थी। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए राज्य सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की थी। बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गर्ल्स पोलिसी बनाने की बात कही। कहा गया स्कूली शिक्षा से इस विषय को जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। इसमें गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। ये प्रतिनिधि पूरी स्थिति का आकलन कर निर्णय लेंगे। पीसीपीएनडीटी सेल में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन होगा। बेटियों को बचाने के लिए सरकार की ओर से की गई ये घोषणाएं महज खोखली साबित होकर रह गईं।

कोर्ट में भी कन्याभ्रूण हत्या का मसला गूंजा था। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 महीनों में पूरी स्थिति का ब्यौरा मांगते हुए सोनोग्राफी मशीनों पर 'साइलेंट ऑब्जर्वर' लगाने की बात कही थी। इस क्रम में राज्य सरकार ने तत्काल प्रदेश के सभी सोनोग्राफी सेंटरों पर मशीनों में एक्टिव ट्रेकर लगाने की घोषणा की थी। दरअसल, सोनोग्राफी सेंटरों पर एक्टिव ट्रेकर लग जाने के बाद मशीन से होने वाली जांच की जानकारी केंद्रीयकृत सर्वर पर मिलेगी। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि किसी मशीन से भ्रूण की जांच तो नहीं की जा रही है। एक्टिव ट्रेकर लगाने के साथ ही मशीन तथा चिकित्सक की पूरी जानकारी भी सर्वर पर आ जाएगी। यह एक्टिव ट्रेकर मशीन के जल जाने अथवा खराब हो जाने पर भी काम करेगा। इस योजना के माध्यम से सोनोग्राफी संचालकों पर लगाम कसने के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोकथाम की उम्मीद की जा रही है किंतु विभाग की ओर से बरती जा रही लापरवाही का नतीजा रहा कि एक्टिव ट्रेकर लगाने के बाद भी इसका सर्वर स्थापित नहीं हो पाया है। इस कारण यह एक्टिव ट्रेकर सार्थक नहीं हो पा रहे हैं। सर्वर स्थापित करने के लिए अभी तक निविदा जारी नहीं होने के कारण यह काम अटका हुआ है। इसके चलते अब सोनोग्राफी सेंटरों पर एक बार फिर धड़ल्ले से भ्रूण जांच का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि सरकार ने हाल ही में अल्ट्रा सोनोग्राफी विशेषज्ञ के लिए नई योग्यता जरूर तय की है। इसके तहत अब स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को आनुवंशिक क्लिनिक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक एवं इमेजिंग सेंटर में अल्ट्रा सोनोग्राफी करने का अधिकार नहीं होगा। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत अब केवल उन्हीं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को जेनेटिक क्लिनिक एवं अल्ट्रासाउंड क्लिनिक व इमेजिंग सेंटर स्थापित करने का अधिकार होगा जिनके पास सोनोग्राफी या इमेज स्केनिंग में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री या छह माह का प्रशिक्षण या एक वर्ष का अनुभव प्राप्त होगा।

बहरहाल, राजस्थान में बाल लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार राजस्थान में बाल लिंग अनुपात की दर 883 है। वर्ष 2001 के आंकड़ों में बाल लिंगानुपात 909 राजस्थान का आंकड़ा था। पिछले दस वर्षों में बाल लिंगानुपात 26 अंक गिरा है। ऐसे में घटते लिंगानुपात यानी पुरुषों के मुकाबले कम होती महिलाओं की संख्या खतरे की घंटी बजा रही है। **(विविधा फीचर्स)**

इस अंक में...

- **अब न रहें अनचाही हमारी बेटियां**
- **सस्ता इलाज सब तक पहुंचे**
- **यात्राओं में गहलोत–वसुंधरा के बीच छिड़ा बयान युद्ध**
- **राजस्थान की लोकसंस्कृति के क्या कहने**
- **सुनवाई व कार्यवाही यात्रा अभियान की शुरुआत**
- **अवैध शराब की बिक्री लील रही हैं सहरियाओं को**
- **भारतीय जेलों में 65 फीसदी कैदी दलित और पिछड़े**
- **अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति का मसला अटका**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 280 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 मई 2013 से 12 जून 2013

सस्ता इलाज सब तक पहुंचे

• भारत डोगरा •

वर्ष 2009 में तैयार किए योजना आयोग के एक अनुसंधान पत्र (रिसर्च पेपर) में बताया गया है कि ग्रामीण भारत के जो लोग गरीबी के नीचे धकेले जा रहे हैं उनमें से लगभग आधे लोगों के लिए इसका सबसे बड़ा कारण किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए किया गया खर्च है। अनुमान है कि वर्ष 2004–05 में इस कारण लगभग 3 करोड़ 90 लाख लोग गरीबी के जाल में फंस गए। इससे पहले भी कुछ अध्ययनों ने इस गंभीर होती समस्या की ओर ध्यान दिलाया। इस संदर्भ में कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चारु गर्ग व अनूप करन के एक अध्ययन (वर्ष 2009) के अनुसार वर्ष 1999–2000 में 3 करोड़ 20 लाख व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं के अधिक खर्च के कारण गरीबी की रेखा के नीचे धकेले गए। इससे कुछ पहले (वर्ष 2006 में) वैनदूरस्लेअर, ओडोनेल व रनन–एलाजा के एक अध्ययन ने ऐसे लोगों की संख्या 3 करोड़ 70 लाख आंकी थी।

चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण अब इलाज के नए व अधिक असरदार तौर–तरीके तो उपलब्ध हैं पर हमारी आबादी के बड़े हिस्से के पास निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए साधन नहीं है। सरकारी चिकित्सालयों के खस्ताहाल के कारण उन्हें भी निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है, फिर चाहे वे इलाज पूरा करवा सकें या नहीं। घर में जमा–पूंजी पर्याप्त न होने के कारण उन्हें जल्दबाजी में जहां से ऊंचे ब्याज पर कर्ज मिले वहीं से मजबूरी में लेना पड़ता है व फिर मूलधन तो क्या ब्याज भी चुकाना कठिन हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों से 5 से 10 प्रतिशत प्रति महीना चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रायः कर्ज लिया जाता है। भारत में दवाओं की कीमत को नियंत्रित करने का आदेश 1995 में जारी किया गया था जिसके बारे में उसी समय तीखी आलोचना हुई थी कि वह बेहद आधा–अधूरा है व अनेक जरूरी दवाएं इसकी परिधि से बाहर हैं। अतः इसके स्थान पर नया आदेश लाना बहुत जरूरी था व स्वयं सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी जरूरत स्वीकार की जा चुकी है। पर अरबों रुपए प्रतिवर्ष मुनाफे का निहित स्वार्थ इतना हावी है कि 18 वर्षों के इंतजार के बाद भी दवाओं की कीमतों को समग्र ढंग से नियंत्रित करने वाला बहु–प्रतीक्षित आदेश अभी तक नहीं आ सका है। इस स्थिति में यह बहुत जरूरी हो गया है कि सरकार स्वास्थ्य बजट को बढ़ाए व सब नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे अन्यथा गरीबी की समस्या भी बढ़ती जाएगी। राजस्थान सरकार ने जिस तरह सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई हैं, उसका स्वागत होना चाहिए।

देश में वैक्सीन उपलब्धि पर समुचित ध्यान देना जरूरी है। विश्व स्तर पर वैक्सीन बनाने के उद्योग में लगी कंपनियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। उनका ध्यान जन–स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सस्ते पर अच्छी गुणवत्ता के वैक्सीन बनाने पर उतना नहीं है जितना कि मोटे मुनाफे के वैक्सीन विकसित करने में। भारत जैसे विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में सस्ते, विश्वसनीय वैक्सीन चाहिए पर विश्व स्तर पर इस उद्योग को नियंत्रित करने वाली कंपनियों की प्राथमिकताएं कुछ अलग हैं। कम मार्जिन में काम करने में उनकी रुचि नहीं है। हां, यदि उनके द्वारा विकसित नए वैक्सीनों को भी किसी तरह टीकाकरण कार्यक्रम में प्रवेश मिल जाए व इस तरह के कम्बीनेशन को अधिक महंगा बेच सकें तो वे तैयार हैं। एक अनुमान के अनुसार डीपीटी में हेपाटाइटिस बी वैक्सीनेशन जोड़ा जाए तो डीपीटी इम्यूनाइजेशन का खर्चा 17 गुणा बढ़ जाता है। (देखिए इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च जनवरी 2008)। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह के कम्बीनेशन बेचने के लिए जोर लगा रही हैं जबकि इससे विकासशील व गरीब देशों का खर्च बिना कोई विशेष लाभ प्राप्त किए ही बहुत बढ़ जाएगा। सीमित साधनों की स्थिति में खर्च बढ़ेगा तो कम परिवारों तक टीकाकरण का लाभ पहुंच सकेगा व यही हो भी रहा है। इसी प्रवृत्ति का एक दूसरा पक्ष यह कि कि भारतीय सरकार के वैक्सीन अनुसंधान व उत्पादन संस्थानों के कार्यक्षेत्र व क्षमता को कम करने के कुप्रयास करना। इस कुप्रयास के अंतर्गत पहले भारत में ओरल पोलियों वैक्सीन उत्पादन करने के स्थानीय प्रयास बंद करवाए गए जिससे भारत ओरल पोलियों वैक्सीन के आयात पर पूरी तरह निर्भर हो गया। जनवरी 2008 में तीन विख्यात संस्थानों में वैक्सीन उत्पादन के लाइसेंस रद्द करने से देश में वैक्सीन उत्पादन को बहुत धक्का लगा। सार्वजनिक क्षेत्र के तीन विख्यात संस्थानों का वैक्सीन उत्पादन का लाइसेंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रद्द कर दिया था। यह तीन संस्थान हैं – कसौली स्थित 103 वर्ष से चल रहा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कून्नूर स्थित 100 वर्ष से कार्यरत पास्चयर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व 60 वर्ष से कार्यरत चेन्नई स्थित बीसीजी वैक्सीन लैब। इन संस्थानों का वैक्सीन उत्पादन का लाइसेंस बंद करने का कारण तो यह बताया गया कि यहां नवीनतम तौर–तरीके व उपकरण उपलब्ध नहीं थे, पर सरकारी रिकार्ड गवाह हैं कि इन संस्थानों ने बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी

जारी

स्थिति बेहतर बनाने के लिए लिखा तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि वैक्सीन उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इन घोटालों को रोका नहीं गया जो वैक्सीन उत्पादन जैसा महत्वपूर्ण कार्य जन–स्वास्थ्य से दूर हटकर अधिकतम मुनाफा कमाने से नियंत्रित होने लगेगा। इससे देश की अरबों रुपए की क्षति होगी व करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य भंवर में पड़ेगा।

चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर फैल चुकी एक बहुत बड़ी अनैतिकता यह है कि विभिन्न मेडिकल टेस्ट व एक्स–रे करने वाले निजी संस्थान अनेक डॉक्टरों को प्रति टेस्ट या एक्स रे के हिसाब से कमीशन देते हैं। विभिन्न जन–स्वास्थ्य अभियानों से जुड़े रहे चिकित्सक डॉक्टर पुण्यव्रत गुण कहते हैं कि पैथेलोजिकल टेस्ट के लिए यह कमीशन 50 प्रतिशत तक भी पहुंच सकता है जबकि अल्ट्रा–सोनोग्राम के लिए 25 प्रतिशत, सी टी स्कैन के लिए 33 प्रतिशत व एक्स रे के लिए 20 से 25 रुपए प्रति प्लेट की कमीशन की संभावना रहती है। यहां यह ध्यान दिलाना जरूरी है कि सब डॉक्टर ऐसी कमीशन नहीं लेते हैं। काफी संख्या में ऐसे डॉक्टर हैं जो इससे साफ इंकार कर देते हैं व महंगी दवा लिखने के लिए प्रलोभन से भी इंकार कर देते हैं। पर ऐसे ईमानदार व कर्त्तव्यनिष्ठ डॉक्टरों की प्रशंसा करते हुए भी यह तो मानना ही होगा कि कमीशन लेकर टेस्ट लिखने की प्रवृत्ति व्यापक स्तर पर मौजूद है। इसका एक असर तो यह होता है कि पहले ही कठिनाइयां झेल रहे मरीजों व उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ और पड़ता है। जरूरी बात है कि जितना कमीशन डॉक्टर को दिया जाएगा, उतना ही अतिरिक्त पैसा मरीज से वसूला जाएगा। इस कमीशन की लालच में कभी कभी डॉक्टर ऐसे भी टेस्ट या एक्स रे लिख देते हैं जिन्हें बार बार अनावश्यक रूप से करवाने में मरीज को शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, या कम से कम उसे अनावश्यक कठिनाइयां सहनी पड़ सकती हैं।

अतः यह मेडिकल टेस्ट के लिए कमीशन देने की प्रवृत्ति तो हर तरह से घोर अनैतिक है, व इसका जरा सा भी औचित्य कहीं नजर नहीं आता है जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि यह कमीशन की व्यवस्था काफी समय से बड़े पैमाने पर चल रही है। इसका तो एक ही समाधान है कि कानून बना कर इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए व इसके लिए समुचित सजा की व्यवस्था हो। इस कानून का भली–भांति पालन हो, इसके लिए भी प्रयास जारी रखने होंगे। *(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)*

(विविधा फीचर्स)

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 280 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 मई 2013 से 12 जून 2013

यात्राओं में गहलोत–वसुंधरा के बीच छिड़ा है बयान युद्ध

• तेजवानी गिरधर •

चंद माह बाद ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए संदेश यात्रा निकाल रही हैं, तो वहीं भाजपा कांग्रेस से सत्ता छीनने की खातिर सुराज संकल्प यात्रा निकाल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि अपनी यात्रा के दौरान सारा जोर पिछले साढ़े चार साल में किए गए कार्यों को गिनाने पर लगाते हैं, मगर साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब व्यक्तिगत प्रत्यारोप करने से भी नहीं चूक रहे। इस आरोप प्रत्यारोप के चलते कई बार ऐसा प्रतीत होता है, मानो प्रदेश का कोई मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितने कि आपस में लगाए गए निजी भ्रष्टाचार के आरोप। बेशक वसुंधरा विपक्ष के नाते आक्रामक मुद्रा में हैं, मगर उनके पास इस आरोप का कोई जवाब नहीं कि वे पिछले चार साल से थीं कहां? इसके जवाब में कुछ नहीं सूझता तो भावनात्मक रुख अपनाते हुए यह कह देती हैं वे राजस्थान की जनता के दिलों में थीं। अधिकांश समय राजस्थान से बाहर होने के आरोप से ध्यान हटाने के लिए वे गहलोत पर व्यक्तिगत आरोप ताबड़तोड़ लगा रही हैं। इसके लिए वे कई तरह की भाव भंगिमाएं बनाती हैं और कई बार तो नौटंकी सी करती प्रतीत होती हैं। इसी के जवाब में कांग्रेसी नेता आरोप लगाते हैं कि लटके–झटकों से चुनाव नहीं जीता जा सकता।

असल में कांग्रेस को वसुंधरा की यात्रा की वजह से ही खुद भी यात्रा निकालने की जरूरत महसूस हुई, ताकि वे वसुंधरा के आरोपों का हाथोंहाथ जवाब दे सके। वह जानती है कि प्रदेश में जिस प्रकार राष्ट्रव्यापी कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है, उस पर सवार हो कर भाजपा सत्ता में आ सकती है। वह यह भी समझ रही है कि वसुंधरा राजे का जो क्रेज है, कहीं उसके चक्कर में सरकार की सारी उपलब्धियों पर पानी ही न फिर जाए, सो उपलब्धियों का संदेश देने की कवायद कर रही है। असल में कांग्रेस की योजनाएं हैं तो काफी अच्छी व सराहनीय, मगर सरकारी तंत्र की नाकामी और उस पर मॉनिटरिंग के अभाव की वजह से धरातल पर उनका ठीक से क्रियांवयन न होने पाने के कारण उनका इंपैक्ट नहीं रहा। शायद यह सोच कर भी मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी उपलब्धियां गिनाने को यात्रा पर निकलना पड़ा। वैसे यह एक अजीब बात है कि जिन योजनाओं के कारण सरकार की वाहवाही होनी चाहिए थी और उन्हीं के दम पर दुबारा सत्ता में आना सुनिश्चित होना चाहिए था, उन्हीं को गिनाने की मशक्कत करनी पड़ रही है। दोनों यात्राओं की समीक्षा की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा की सभाओं में कहीं ज्यादा भीड़ नजर आती है। उसका एक कारण वसुंधरा का निजी क्रेज है तो दूसरी वजह ये है कि भाजपाइयों में इस बार सत्ता में लौटने की छटपटाहट है। भाजपा के टिकट दावेदार भी पूरे जोश–खरोश से भीड़ जुटा रहे हैं। सभी दावेदारों को पता है कि टिकट वितरण में वसुंधरा की ही मुख्य भूमिका रहने वाली है, इस कारण हर दावेदार अपनी ताकत दिखाना चाहता है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, जो बनाया तो अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने था, मगर उसका वास्तविक लाभ भाजपा को मिल रहा है। वसुंधरा पूरे नाटकीय अंदाज में लच्छेदार व धुंआधार भाषण देती हैं, जो आम जनता को लुभा रहा है। वैसे भी विपक्ष में होने के कारण उनके भाषण ज्यादा लुभावने और आक्रामक होते हैं, जो कि आम जन को प्रभावित कर रहे हैं।

कांग्रेस के लिए अफसोसनाक बात ये है कि एक ओर जहां गहलोत कांग्रेस को दुबारा सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो रुष्ट कांग्रेसी अपनी नाराजगी दर्शा कर उस पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। जहां जाते हैं, वहां पार्टी के अंदरुनी झगड़े सामने आ जाते हैं। यहां तक कि इस दरम्यान हुई बैठकों में भी कार्यकर्ताओं की सरकार के प्रति भरी हुई नाराजगी उभर कर आ रही है। गुटबाजी ने कांग्रेस की चिंता इतनी बढ़ा दी है कि हाईकमान को जिलों की रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुटों में बंटे नेताओं को साथ बैठाकर चुनावी काम में लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके विपरीत भाजपा फिलहाल एकजुट नजर आती है। उसकी वजह ये है कि भाजपा के सारे छोटे क्षत्रप नतमस्तक हो चुके हैं। जो संघनिष्ठ हैं और जो तटस्थ रहे, वे भी वसुंधरा के सिर चढ़ का बोल रहे जादू से प्रभावित हो कर शरणम गच्छामि हो रहे हैं। सारी बागडोर वसुंधरा के हाथ में आ गई है। वसुंधरा के पास सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, इस कारण पूरी ताकत योजनाबद्ध तरीके से लगा रही हैं, जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जा रही। वो है येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना। वह उनके लिए जरूरी इसलिए है कि जिस प्रकार जिद करके उन्होंने हाईकमान को झुकाया है, उन्हें जीत कर दिखाना ही होगा, वरना वे सदैव के लिए राजस्थान से रुखसत हो सकती हैं।

जारी

कटारिया के फंसने से भाजपा की जान सांसत में

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने भले ही राजस्थान के पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को आरोपी बना कर अपनी अब तक की कार्यवाही को आगे बढ़ाया हो, मगर इसके राजनीतिक निहितार्थ ये ही हैं कि इससे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे को बड़ा झटका लगा है। भले ही भाजपा कटारिया के फंसने को राजनीतिक दुश्मनी करार दे, मगर सच वह भी जानती है कि ऐन चुनाव से पहले उनका एक महत्वपूर्ण विकिट गिर गया है। वसुंधरा के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रहे कटारिया के उलझने की वजह से उनकी कथित रूप से बड़ी तेजी व उत्साह के साल चल रही सुराज संकल्प यात्रा में भी विघ्न आएगा ही। संभव है कटारिया की गिरफ्तारी होने पर उन्हें नया नेता प्रतिपक्ष चुनना पड़े और उसके साथ वसुंधरा की कैसी पटेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे वसुंधरा मन ही मन इस बात से खुश जरूर हो रही होंगी कि उनको सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कटारिया मुसीबत में हैं, मगर पार्टी के नाते उनके लिए एक बड़ा संकट हो गया है। वसुंधरा के लिए अभी इसका मतलब उतना नहीं है कि उनका कोई प्रतिद्वंद्वी कमजोर हो, बल्कि इसका है कि वे किसी भी प्रकार सत्ता में आ जाएं, प्रतिद्वंद्वियों से तो तालमेल बैठा ही लेंगे। हां, एक बात जरूर है कि ताजा चुनावी माहौल में आरोप–प्रत्यारोप के दौर में कटारिया प्रकरण से गरमी और बढ़ेगी और भाजपा को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस हार की आशंका से बौखलाहट के चलते बदले की भावना से सीबीआई का दुरुपयोग करवा रही है। भले ही सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम कर रही हो, मगर संभव है चुनावी माहौल में इस नए मोड़ पर भाजपा को जनता की संदेवना का लाभ मिल जाए।

वसुंधरा का काम आसान कर दिया मारग्रेट अल्वा ने

एक ओर जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस व भाजपा के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में राजस्थान की राज्यपाल मारग्रेट अल्वा के एक बयान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ा दी है। उनके इसी बयान को आधार बना कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी गहलोत पर हमला बोल दिया है। असल में हुआ यूं कि राज्यपाल ने गत दिवस सीआईआई और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल के ग्रीन बिल्डिंग एंड रिंयूएबल एनर्जी सेमिनार में कहा कि अधिकारी योजनाएं तो खूब बनाते हैं, घोषणाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन क्रियांविति नहीं होती। वस्तुतरू गहलोत सरकार के बारे में यह एक सामान्य धारणा है कि उसने गिनाने को तो बहुत जनोपयोगी व लोककल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, मगर न तो ठीक से उनकी क्रियांविति हो पा रही हैं और न ही उनकी उचित मॉनीटरिंग होती है। हालांकि राज्यपाल मारग्रेट अल्वा ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें चुस्त करने के लिहाज से सामान्य रूप से अपनी बात कही कि अधिकारी योजनाओं की ठीक से क्रियांविति नहीं करते, मगर चुनावी माहौल में, जबकि गहलोत उपयोगी योजनाएं लागू करने की बिना पर वोट मांग रहे हैं, राजे को हमले का शानदार मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि अब तो घोषणाओं के अमल पर राज्यपाल भी सवाल उठा रही हैं। राजे ने कहा है कि मुख्यमंत्री सरकारी घोषणाओं और योजनाओं का कितना ही ढोल पीटे, जनता के साथ–साथ अब तो राज्यपाल ने भी सरकारी घोषणाओं और योजनाओं की क्रियांविति पर सवाल उठा दिए हैं। वसुंधरा के हमले के बाद मारग्रेट अल्वा को ख्याल आया कि चुनावी साल में उन्होंने क्या कह दिया सो एक समारोह में बोलीं कि उनको राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। *(लेखक अजमेर नामा डॉट काम के संपादक हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

जारी

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 280 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 मई 2013 से 12 जून 2013

राजस्थान की लोकसंस्कृति के क्या कहने

• चंदन सिंह भाटी •

बदलाव की बयार जब सब जगह चल रही हो। दुनिया का प्रत्येक कोना बदलाव के साथ चल रहा है। यह बदलाव नकारात्मक अधिक और सकारात्मक कम हैं। बाड़मेर जिला भी बदलाव की बयार से अछूता नहीं है। सुखद पहलू यह है कि यह बदलाव सकारात्मक है। इस क्षेत्र में हुआ बदलाव विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

क्षेत्र में बदलाव आया जरूर मगर ग्रामीणों में आज भी अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीति–रिवाज, आभूषण, खान पान के लिए मोह कायम हैं। परिधान सदियों से समाज में सभ्यता का प्रतीक रहा है। सिंधु संस्कृति से क्षेत्र का जुड़ा आरंभ से रहा है। भारत पाक अलग होने के बाद भी यहां व्यापक बदलाव आया। पश्चिमी राजस्थान के इस मरू जिले का पहनावा सदा लोकप्रिय रहा है। परंपरागत परिधान तथा आभूषण चार चांद लगाते हैं। महिलाओं में परंपरागत रूप से घाघरा, कुर्ती, कांचली, ओढ़नी, पोमचा, ताहरिया, चुनरी, अंगिया पहने जाते हैं। घाघरा कमर से एड़ी तक का लंबा स्कर्ट होता था। कलियों को जोड़कर या चुन्नर के द्वारा इसे ऊपर संकरा और नीचे चौड़ा घेरदार बनाया जाता है। घाघरे ऊंचे रखे जाते हैं ताकि पावों में पहने आभूषण दिखाई दे सके। 80 कली के घाघरे के लोकगीत बने हैं। मलमल, साटन, छींट, लट्ठा, गोटेदार, मगजी, वाला के घाघरे आज भी शौक से पहने जाते हैं। कुर्ती कांचली क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय परिधान है। राजपूती परिधान के नाम से प्रसिद्ध यह परिधान आज विदेशों में लोकप्रिय है। कुर्ती कांचली पहनावा आज स्टेट सिंबल बना है। फिल्मी दुनिया में कुर्ती कांचली की अभी धूम है। शरीर के ऊपरी हिस्से में स्त्रियां कुर्ती और कांचली पहनती हैं। बांहे कांचली में ही होती हैं। कुर्ती बिना बांह की होती है। ये दोनों मिलकर ब्लाऊज का कार्य करते है। अविवाहित लड़कियां कुर्ता कांचली एक ही पहनती हैं, जो बेल गोटा पर कढाई या प्रिंट घाघरे पर होता है। वैसा ही कुर्ती कांचली पर होता है। ओंढनी शरीर के निचले हिस्से में घाघरा ऊपर कुर्ती कांचली पहनने के बाद स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती हैं। ओढ़नी प्रायः ढाई से तीन मीटर लंबी और चौड़ी डेढ़ से पौने दो मीटर होती है, जिससे घूंघट निकालने में आसानी होती है। ओढ़नी में बैल बूटे, भांत या गोटा पत्ती होती है। ओढ़नी के किनारे गोटे लगाए जाते हैं। लहरिया बंधेज की ओढ़निया विशेष लोकप्रिय है। लहरिया श्रावण में तीज त्यौहार के अवसर पर स्त्रियां विशेषकर पहनती हैं।

पंचरंगी लहरिया शुभ माना जाता है। संत शिरोमणि मीरा बाई ने कहा था कि ''पंचरंग चोला पहिर सखि में झुरमर खेलन जाती'' होली के अवसर पर महिलाएं फागणियां ओढ़ती हैं। बंधेज के परिधान इस वक्त काफी लोकप्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगाई छपाई के वस्त्र अधिक पहने जाते हैं। स्थानीय बंधेज की विशिष्ट शैली अजरख व मलीट है। अजरख में लाल एवं नीले रंग से मुसलमान, मेघवाल जाति में अजरख तथा मलीट के परिधान पहने जाते हैं। ये परिधान स्थानीय खत्री जाति के लोग तैयार करते हैं। पाकिस्तान में भी अजरख व मीट रेटा, पडा की जबरदस्त मांग रहती है। पुरुष का परिधान ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बढ़कर है। साफा, पोतिया, टोपी, अंगरखी, चौला, पायजामा, धोती, कुर्ता आज भी ग्रामीण संस्कृति का गौरव बढ़ा रहा है। क्षत्रिय समाज में पुरुष तेवटा व कमीज पहनते हैं। बदलते बयार में स्त्रियां जहां साड़ी, ब्लाऊज बालिकाएं सलवार कुर्ता, स्कर्ट तक पहुंची हैं, वहीं पुरुष का फैशन के नाम पर पेंट–शर्ट, कोट पहनते हैं। युवा वर्ग में जींस अवश्य लोकप्रिय है। खादी के कुर्ता पायजामा आज भी लोकप्रिय है। खादी के प्रति युवाओं का लगाव बढ़ता जा रहा है। पुरुषों में पांवों में पगरखी पहनने की परंपरा है। मरूस्थली प्रदेश में सबसे रेतीले क्षेत्र में पगरखी या जूती आज भी लोकप्रिय है। युवा वर्ग अवश्य बूट, स्पोर्टस बूट, सैंडिल तक बदलाव में रंगा है। महिलाओं में भी पगरखी समान रूप से प्रचलित है। आज फैशन के दौर में शहरी महिलाएं भी शौक से जूती पहनती हैं। आभूषणों में आज बड़ा परिवर्तन आया है। ग्रामीण अंचलों में परंपरागत आभूषण सिर के शीषफूल, रखडी, टीका बोरिया, कान के आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पत्र, फूल झूमका, आगोत्य पहनने का प्रचलन है। नाक में नथ, फीणी पहने जाते हैं। वहीं कंठी, निंबोली, तमणियां, कंठसारी, कंठयाला, चांदल्या पंद्रहार, हंसहारख, डुगलां गले की शोभा बढ़ाते हैं। वहीं बाजूबंद, अणत पर कडा, कंकण, गजरा चूड़ी, कडा, हाथपान, वीटी, मूंदडी, दामवा, अंगूठी कंदौरा, पायल, पायजेब, नूपुर, झांझरिया, जोड़ पगपान, तोड़ा, अनोटा, बिछया, पोलरा, छल्ला, बाजूबंद, भुजबंद आदि गहने आज भी स्त्रियां बड़े चाव से पहनती हैं। वहीं पुरुष आज भी कानो में गोखरू, लौंग पहनते हैं। हंसली, कंठी, अंगूठी, हार (चैन) कडा आदि पहनते हैं। ये आभूषण सोने एवं चांदी के बने होते हैं। शादी ब्याह तीज त्योहार के अवसर पर अक्सर महिलाएं व पुरुष आभूषणों से श्रृंगारित होकर आते हैं।

जिले में खान पान की स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाजरे के आटे की राब, गाठ के साथ झांकल (नाश्ता) बाजरी का सोगरा, काचरा मतीरा, केर, सांगरी, रायता, कडी, कुंभट, दही की सब्जी के साथ बेपारा (दोपहर का भोजन) बयालू (रात का भोजन) करते हैं। खाने के बाद छाछ का चटकारा लेना नहीं भूलते। लहसून, मिर्ची की चटनी का अपना स्वाद है। विशेष अवसरों पर गेहूं की रोटी, चावल अवश्य खाए जाते हैं। शादी विवाह तीज त्योहार के अवसर पर सूजी का हलवा, चना सब्जी, लापसी की परंपरा आज भी कायम है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 280 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 मई 2013 से 12 जून 2013

सुनवाई व कार्यवाही यात्रा अभियान की शुरुआत

• बाबूलाल नागा •

मजदूर किसान शक्ति संगठन की ओर से राजस्थान के चार जिलों में जवाबदेह प्रशासन का मूलभूत ढांचा स्थापित करने के लिए एक महीने की सुनवाई व कार्यवाही यात्रा अभियान की शुरुआत हुई है। 20 मई से शुरू हुई यह यात्रा अभियान राजस्थान में सुनवाई के अधिकार कानून का धरातल पर वास्तविकता में प्रभावशाली तरीके से लागू करने को आश्वस्त करने के लिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिकायत निवारण कानून को पारित करने की मांग को भी मजबूती से उठाना है। 16 जून 2013 तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से एक संवाद की प्रक्रिया चालू करने का प्रयास है जो सरकार की व सरकारी अधिकारियों की जनता के जवाबदेही को मजबूत करें।

उल्लेखनीय है कि जबसे सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ है तब से यह तो स्पष्ट हो गया कि इस कानून से प्रशासन में पारदर्शिता को लाने में मदद मिली है परंतु जवाबदेही का प्रश्न अनुत्तरित रह गया। पिछले दो सालों से जवाबदेही को लेकर चारों तरफ से काफी आवाजें उठ रही हैं। सुनवाई का अधिकार व शिकायत निवारण कानून एक ऐसा कानूनी आधार देते हैं जिससे नागरिक ही सरकार को विकेंद्रित तरीके से जवाबदेही बना सकते हैं। सुनवाई का अधिकार कानून कुछ हद तक शिकायत निवारण की तर्ज पर है जिसे राजस्थान सरकार ने अगस्त 2012 में पारित किया। दिसंबर 2012 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राजसमंद प्रशासन के साथ जुड़कर कई सारे कैंप लगाए जो जमीनी स्तर पर इस कानून की क्रियांविति को देखने के लिए थे। इस प्रयोग का बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकला और यह स्पष्ट हुआ कि कुछ नियम व कायदे अगर सही तरीके से प्रयोग में लाए जाए तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है। 9 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला जो राजसमंद मॉडल की तर्ज पर पूरे राज्य में इस कानून को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुनवाई का अधिकार कानून तीन बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास हैं। पहला रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) पंचायत स्तर पर एकल खिड़की होगी जो हर रोज 2 घंटे आवश्यक रूप से खुलेगी। यहां पर हर अर्जी को स्वीकार किया जाएगा और उसकी मय तारीख रसीद दी जाएगी। दूसरा अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में एक बार पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों, प्रखंडों व जिला स्तर पर सुनवाई होगी। यहां शिकायतकर्ता व उच्च अधिकारी आमने सामने बैठेंगे। तीसरा हर हाल में 21 दिन में शिकायत का लिखित उत्तर दिया जाएगा जिसमें क्या कार्यवाही हुई उसका ब्यौरा होगा।

बहरहाल, राजसमंद जिले की भीम तहसील की कालादेह ग्राम पंचायत ने एक ऐतिहासिक शुरुआत करते हुए ग्राम पंचायत में लोक सुनवाई केंद्र की स्थापना की। यह देश का पहला केंद्र है जहां लोक सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई है। नमूने के तौर पर सफलता मिलने के बावजूद यह स्पष्ट है कि इसका सही प्रयोग आमजन के करने में काफी समय लगेगा। इसके लिए इन कार्यों को प्रभावशाली तरीके से संस्थागत करने की आवश्यकता है। इसीलिए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक महीने के अभियान की योजना बनाई है इसमें तीन सप्ताह सुनवाई कार्यवाही जाप्ता भी शामिल है। यह यात्रा मध्य राजस्थान के चार जिलों में घूमेगी। भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद व अजमेर के 6 ब्लॉक इसमें शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इस कानून के लिए लोगों को जागृत करना, इसका इस्तेमाल करना सीखाना और इस कानून के तीन उद्देश्यों पर निगरानी रखना है। इस यात्रा में भागीदार लोग अर्जी लगाकर रसीद लेने व 21 दिन में जवाब आने व सुनवाई की प्रक्रिया को व्यवहार में समझेंगे और इसके लागू होने में जो चुनौतियां हैं उनको समझने का मौका मिलेगा। यात्रा में शामिल होने वाले भागीदार 6 समूहों में बंटेंगे। हर समूह एक भौगोलिक क्षेत्र को पूरा करेंगे। यह समूह एक ब्लॉक के ज्यादा से ज्यादा गांव में जाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान लोगों की दिक्कतों को सुनना, उनको अर्जी लगाने के लिए तैयार करना व सप्ताह की जनसुनवाई पर निगरानी रखने व इसकी क्रिया स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 280 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 मई 2013 से 12 जून 2013

खबरें संक्षेप में

अवैध शराब की बिक्री लील रही हैं सहरियाओं को

• मनोज राठौर •

बारां जिले के किशनगंज–शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार सहरिया परिवारों को जीवन यापन के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। इन योजनाओं का ही असर है कि क्षेत्र में रहने वाले सहरिया परिवारों के जीवन स्तर में काफी सुधार व रोजगार के साधनों में वृद्धि हुई है लेकिन क्षेत्र की सहरिया कॉलोनियों में अवैध रूप से बिक रही शराब सहरिया परिवारों के जीवन स्तर में फिर से निम्नता की ओर बढ़ावा दे रही है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है।

सहरिया लोग मनरेगा में या खुली मजदूरी करते हैं। मजदूरी से जो आय होती है उस का एक बड़ा भाग शराब पर खर्च करते हैं। वहीं अवैध रूप से बिक रही शराब से उनकी दिनभर की मजदूरी खर्च हो जाती है जिससे परिवार में मूलभूत सुविधा की कमी आ जाती है। मुख्य सचिव सी के मैथ्यू के आदिवासी क्षेत्र के दौरे के दौरान सहरिया महिलाओं ने मुख्य सचिव से इसकी शिकायत कर अवैध रूप बिक रही शराब को बंद कराने की मांग की थी। आदेश की पालना में जब अधिकारियों ने कार्यवाही प्रारंभ की तो शराब माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। करीब 1 माह तक अवैध शराब पर प्रशासन ने लगाम कस दी। अवैध शराब बेचने वालों पर अकुंश लग गया लेकिन आबकारी विभाग व पुलिस प्रशासन की अनदेखी व लापरवाही के कारण हालात फिर से बदलने लगे हैं। लाइसेंसधारी दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं की गई है जिससे सेल्समेन द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा में शराब बेचने के मामले सामने आते रहते हैं। इस तरह लाइसेंस की दुकान पर सहरिया लोगों से ज्यादा दाम वसूल कर उनका शोषण किया जा रहा है। इस बारे में आबकारी थाना शाहाबाद को भी शिकायत की गई लेकिन उनका कहना है कि प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूल रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। यह कार्यवाही तो हमारे जिला अधिकारी ही कर सकते हैं। जब कार्यवाही करने वाले अधिकारी ही ऐसा कहेंगे तो क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही शराब पर कैसे लगाम लगेगी।

बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र किशनगंज व शाहाबाद में रहने वाले ये सहरिया लोग किसी तरह मजदूरी कर अपनी जीविका गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार की प्रभावी योजनाओं से सहरिया परिवारों सहित अन्य परिवारों के जीवन स्तर में सुधार तो हो रहा है लेकिन शराब नाम के इस जहर ने क्षेत्रवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सहरिया समाज का विनाश निश्चित है। जब आदिवासी ग्रामीण लोग शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस या प्रशासन को अवगत कराते हैं तो उनके द्वारा कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत करा दिया जाता है। गत माह उपखंड मुख्यालय के नजदीक स्थित कॉलोनी गांव के छात्रों ने थानाधिकारी शाहाबाद को ज्ञापन देकर अवैध रूप से बिक रही शराब पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। इस पर थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि जल्द कार्यवाही कर शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई जावेगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 280 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 28 मई 2013 से 12 जून 2013

खबरें संक्षेप में

भारतीय जेलों में 65 फीसदी कैदी दलित और पिछड़े

• विविधा फीचर्स •

दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण पाकिस्तान और भारत की जेलें एक बार फिर चर्चा में हैं। पाकिस्तान और भारत की जेलों में एक दूसरे देश के कितने कैदी बंदी बनाकर रखे गए हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इस पर दोनों देशों में बहस भी हो रही है और पहल भी लेकिन ऐसे ही वक्त में भारतीय जेलों की पड़ताल करने की जरूरत है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो जो आंकड़े दे रहा है वह बहुत चौंकाने वाला है। भारतीय जेलों में पाकिस्तानी कैदी तो नाम मात्र के ही हैं, मुसलमान भी उतने नहीं जितनी बड़ी मात्रा में उन पर शक किया जाता है। भारत की जेलों में बंद सर्वाधिक कैदी दलित और पिछड़े समाज से हैं। देश की आबादी की तर्ज पर जेल की आबादी में भी इनका हिस्सा सर्वाधिक है। कुल बंदियों में 65 प्रतिशत दलित और पिछड़े हैं।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े यह हकीकत चीख–चीख कर बयान कर रहे हैं। दलित और पिछड़ों को न्याय–अन्याय की चक्की में पिसना पड़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि देश के कुल कैदियों में 28 फीसदी अल्पसंख्यक कैदी जेलों में बंद हैं जबकि देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी मात्र 20 फीसद है। यदि जातिगत आधार पर इन जेलों में बंद कैदियों की स्थिति का जायजा लें तो 65 फीसदी कैदी एसटी, एससी व ओबीसी हैं। ये जातियां हिंदुस्तान में पिछड़ी व गरीब मानी जाती हैं। **(विविधा फीचर्स)**

अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति का मसला अटका

• विविधा फीचर्स •

भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए दसवीं से पूर्व की छात्रवृति योजना प्रारंभ की है। इस योजना को गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू नहीं किया और कहा कि यह भेदभाव वाली योजना है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस आदेश को गलत माना और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इसे लागू किया जाए। इस आदेश पर गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर स्थगन नहीं दिया और कहा कि इस मुद्दे को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। गुजरात के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दी कि भारत सरकार की यह योजना धर्म पर आधारित है जिसे राज्य सरकार द्वारा लागू करना जरूरी नहीं है।

उच्च न्यायालय का फैसला जनहित याचिका का निबटारा करते समय आया। यह छात्रवृत्ति 5 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हैं जिसमें मुसलमान भी शामिल है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। मोदी सरकार ने तर्क दिया कि गुजरात में इस तरह की योजनाएं पहले ही चल रही हैं। यह नई योजना भेदभाव पैदा करने वाली है। **(विविधा फीचर्स)**